भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *121

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन

*121. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भूजल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि का विशेषकर कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं की जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जल संरक्षण से संबंधित प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) कृषि, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजन के लिए जल का समान एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय आरंभ किए गए हैं/आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन’ के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *121 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अटल भूजल योजना के लिए 1780.40 करोड़ रूपये की राशि परिकल्पित की गई है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत, विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निधियां जारी किया जाना सहभागी राज्यों की कार्य-निष्पादकता पर आधारित होता है।

(ख): कर्नाटक के 14 जिलों के 1199 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है, जबकि अटल भूजल योजना सहित विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण और संरक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार, अटल भूजल योजना की प्रोत्साहनात्मक निधि से कुल 2478 कार्य शुरू किए गए है, जिसमें से 1707 कार्य को पूरा कर लिया गया है और 771 कार्य चल रहें हैं। इसका जिला-वार सूची अनुलग्नक पर दी गयी है।

(ग): अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन सामुदायिक भागीदारी आधारित है। भूजल स्तर और उसकी प्रवृतियां, जल गुणवत्ता जैसी भूजल से जुड़ी सूचना के संग्रहण तथा प्रसार में समुदायों की भूमिका अहम होती है, जिससे भूजल से संबंधित मूल्यवान स्थानीय सूचना हासिल होती है। इस उद्देश्य के लिए उन लोगों को संबंधित उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाता है। प्राप्त जानकारी और अनुभव के आधार पर, उन्हें आगे जल बजटिंग की बारीक समझ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनकी पंचायत की विशिष्ट आवश्यकता और चुनौतियों के मद्देनजर प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य जल सुरक्षा योजना तैयार करने में मदद मिलती है। इन योजनाओं को व्यापक विचार-विमर्श और भागीदारी के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सक्रिय निर्णय लेने में उनकी भूमिका को अहम बनाते हुए महिलाओं की अनिवार्य 33 प्रतिशत (न्यूनतम) भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाजिक समावेशन अपनाया जाता है। अन्य संबंधित योजनाओं का अभिसरण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सामुदायिक भागीदारी द्वारा भूजल प्रबंधन में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को मजबूत करते किया जाता है। योजना के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकजुटता रखते हुए, समुदायों द्वारा जल-दक्ष प्रथाओं का अपनाया जाना भूजल संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने में उनके सीधे योगदान को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषाओं में ही नियमित बैठकों/विचार-विमर्शों और सूचना के विभिन्न मोड, शिक्षा और संचार (आईईसी), जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजना और पठनीय सामग्री विकसित करते हुए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रतिभागी राज्य द्वारा गैर-सरकारी संगठन जिला को कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में शामिल किया जाता है, ताकि समुदायों के साथ प्रत्येक कदम पर मिलकर चलते हुए सरलता से कार्य किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि एक व्यापक, सूविज्ञ और जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(घ): जल एक राज्य विषय होने के कारण, देश के कृषि, औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए जल का समान वितरण सुनिश्चित किए जाने सहित जल प्रबंधन पर पहल किए जाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों की होती है।

फिर भी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूजल के समान और विवेकानुसार आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए, एक राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें ऐसी कृषि प्रणाली विकसित करना परिकल्पित है जिससे कम से कम पानी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में भूजल और सतही जल का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाए।

अटल भूजल योजना के तहत, समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट और जल सुरक्षा योजना बनाई जाती है जिसमें जल की उपलब्धता और मांग का आकलन किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच अनुकूल जल आवंटन के लिए मांग/आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप प्रस्तावित किए जाते है।

*****

अनुलग्नक

'अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *121 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	जिला	अटल भूजल योजना के प्रोत्साहनात्मक निधियों के माध्यम से किए गए कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए कार्य	चल रहे कार्य
1	बालाकोट	160	117	43
2	विजयनगर	78	53	25
3	बेलगावी	125	87	38
4	बेंगलुरु - ग्रामीण	178	149	29
5	चामराजनगर	60	39	21
6	चिकमगलूर	40	30	10
7	चिक्काबल्लापुर	359	185	174
8	चित्रदुर्ग	326	265	61
9	दावणगेरे	142	85	57
10	गदग	139	79	60
11	कोलार	244	152	92
12	हसन	136	96	40
13	रामनगर	70	54	16
14	तुमकुर	421	316	105
कुल		2478	1707	771

इन कार्यों में चेक डैम/बोल्डर चेक, मिट्टी के बांध/नाला बांध, कंटूर ट्रेंच, गोकट्टी, पर्कोलेशन टैंक/मिनी पर्कोलेशन टैंक, फार्म तालाब, टैंक भरने के लिए पाइपलाइन, मल्टी आर्च तकनीक डैम आदि का विनिर्माण कार्य शामिल हैं।

*****